[निजी प्रसार के लिए]

अंक २४

नई दिल्ली, फरवरी २०१२

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'कांस्टेबुलरी को सशक्त किये बगैर पुलिसिंग का स्वरूप नहीं बदल सकता'

श्री अर्पित शुक्ला, आई.पी.एस.

श्री अर्पित शुक्ला 1993 के पंजाब कैडर के आई.पी.एस. अफ़सर हैं और मूलरूप से लखनऊ से आते हैं। श्री शुक्ला बॉर्डर के कई शहरों जैसे– पटियाला, फिरोज़पुर और जालंधर में एस.पी. रह चुके हैं। वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यौरो के इंचार्ज और आई.जी. हैं। इनसे पुलिसिंग संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ज़ीनत मलिक द्वारा लिए गए साक्षात्कार के चयनित अंश।

अपने काम के अनुभव के आधार पर हमें कानून–व्यवस्था और जांच के नियोजन में अंतर के बारे में बतलाएं?

मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हुँ कि पुलिस अत्यधिक काम के दबाव के बोझ तले दबी हुई है तथा हमसे हर एक मोर्चे पर मुस्तैदी दिखाने की अपेक्षा की जाती है। कई सारे कानून हैं स्थानीय और विशिष्ट जिनपर उन्हें काम करना होता है। पुलिस को जांच करने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। शायद इसलिए ही उच्चतम न्यायालय ने कानून–व्यवस्था और जांच की शाखा को अलग करने का निर्देश दिया था। लेकिन, कुछ कारणों से कई राज्यों में ऐसा करना संभव नहीं हो पाया है। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं चुनौतियां रहेंगी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कानून में अब तक इस प्रकार के अलगाव का प्रावधान नहीं लाया गया है, क्या थाना स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का यह दायित्व नहीं कि वे अपने स्तर और निर्देश से पुलिसिंग की इन दो शाखाओं को अलग कर सकें?

वास्तव में सारे देश में यह पुलिस की संख्या में कमी के कारण है। इस समस्या के कारणों के बारे में बताता हुँ कि यह आमतौर पर इसलिए है क्योंकि हमारे पास मानव संसाधन की कमी है और हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां कानून–व्यवस्था की परिस्थितियां बनती रहती हैं चाहे वह बंदोबस्त हो या वी.आई.पी. ड्यूटी। ऐसे में स्थानीय एस.एच.ओ. के पास अपने सारे पुलिसकर्मियों को इस पर तैनात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता, यहीं से समस्या शुरू होती है। क्योंकि कानून–व्यवस्था को बनाए रखना इनकी प्राथमिकता होती है।

क्या आपके विचार में 'इन्हांस्ड इंवेस्टिगेशन टेक्नीक' या 'थर्ड डिग्री तरीकों' का उपयोग सच्चाई का पता लगाने में कारगर है?

इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं एक मुद्दे पर फोकस करना चाहुंगा कि अगर हम पुलिस का स्वरूप बदलना चाहते हैं तो हमें कांस्टेबुलरी का उत्थान करना होगा और उन्हें सशक्त करना होगा। साधारण तौर पर उन्हें जांच और सुराग जुटाने से संबंधित कार्यों के अलावा बाकी सारे कामों में उपयोग किया जाता है। जबकि, हमें उन्हें किसी न किसी प्रकार की शक्ति अवश्य ही देनी होगी जैसे शिकायतों को सत्यापित करना हो कहीं से सुराग लाना हो सकता है।

हमारे देश में वरिष्ठ पुलिसकर्मी आंकड़ों से आसक्त हैं वे हमेशा अच्छे आंकड़े चाहते हैं। जबकि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो अपराधों का पता लगाने में सर्वश्रेष्ठ हैं। विदेशों में ऐसा नहीं होता अगर वह किसी केस का पता नहीं लगा पाते हैं तो सीधे कह देते हैं कि हम इस केस का पता नहीं लगा सके। लेकिन, हमारे यहां पुलिस किसी केस का सुराग लेने के लिए अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाती है। पुलिस ऐसा अपराधों को सुलझाने के लिए ही करती है जबकि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए भी मैं यही कहुंगा कि अगर हम उन्हें लगातार प्रशिक्षण देंगे, उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताते रहेंगे तब वे इन हरकतों से दूर रहेंगे। हांलाकि, हम उन्हें इंडक्शन के समय कुछ बातों पर जानकारी देते हैं मगर वह अपर्याप्त है।

इसके अलावा हमें अच्छे, पढ़े–लिखे लोगों को भर्ती करना चाहिए अगर केवल आठवीं और दसवीं पास लोगों को बल में लेंगे जिनके लिए भर्ती का अर्थ केवल रोज़गार पाना है तब उनसे ठीक कार्यनिष्पादन की आशा करना भी व्यर्थ है क्योंकि पुलिसिंग बेहद विशिष्ट काम है।

आज हम नए सूचना प्रसार तकनीकों के आने से कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में अगर हम यह कहें कि केवल अधिकारियों को ही साईबर कानून जैसे विषयों से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए तब मुझे नहीं लगता कि यह उपयोगी सिद्ध होगा। हमें साथ साथ कांस्टेबुलरी को भी प्रशिक्षित और सशक्त करना होगा।

क्या आपके विचार में कांस्टेबुलरी का जनता के प्रति व्यवहार सभ्य न होना उनके सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि का प्रतिबिम्ब है?

हम प्रशिक्षण में डी.के.बासु जैसे केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों को उनमें बांटते हैं और उनके दायित्वों के बारे में बतलाते रहें हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि उनकी पृष्ठभुमि के कारण उनके व्यवहार में समस्या है। अगर हमें ज्ञात हो कि कानून तोड़ने पर पकड़ हो जाएगी तब हम दुसरों की तरह ही उनका पालन करते हैं लेकिन, जहां हमें लगता है कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता तब कानून तोड़ने की प्रवृत्ति होने के कारण हम गैर न्यायिक गतिविधियों का उपयोग करने में नहीं हिचकते। यही लोग अगर कारपोरेट सेक्टर में जाते हैं तो बेहद सभ्य और नर्म हो जाते हैं लेकिन पुलिस में भर्ती के बाद उनके व्यवहार में कड़वाहट इस कारण भी है कि उनके साथ भी निरादर होता है। हमें उनके वेतन और रहन सहन के स्तर में भी सुधार करना होगा। उन्हें अगर यह समझाया जाए कि वे शरीफ़ लोग हैं और समाज उनसे केवल अच्छाई की अपेक्षा करता है और उसी प्रकार उनका आदर भी करता है तभी उनके व्यवहार में बदलाव आएगा।

हांलाकि, मैं स्वंय भर्ती बोर्ड का सदस्य होने के नाते कह सकता हुँ कि अब नए लोगों की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता पर बेहद ध्यान दिया जा रहा है और उसके साकारात्मक परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस नेतृत्व थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों के कार्य–अवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है, खासकर तब जब केन्द्र द्वारा आधुनिकिकरण अनुदान भी दिया जा रहा है?

सारे देश में पुलिस नेतृत्व हर संभव कोशिश कर रही है कि थाना स्तर पर पुलिकर्मियों और अवसंरचना का उत्थान हो सके। लेकिन, हमें अगर आवश्यकता एक रूपये की है और केवल दस पैसे दिए जा रहे हों तब समस्या तो रहेगी।

लेकिन, वह दस पैसे कहां खर्च हो रहे हैं यह भी जानना आवश्यक है। क्या उसका कुछ भाग बैरकों और थाना स्तर के पुलिसकर्मियों के उत्थान पर लगाया जाता है?

इस कोष का विभाजन सुधार के कई स्तरों पर किया जाता है।

.....शेष पृष्ठ २ पर

बूझो और जीतो–२

प्रिय पाठकों,

लोक पुलिस पत्रिका के जनवरी २०१२ अंक से आपके लिए इस रोचक प्रतिस्पर्धा की शुरूआत की गई थी। जिसके अंतर्गत आपसे केवल ५ सवाल पूछे जाते हैं, जो आपके काम से संबंधित होते हैं। आपको इनके जवाब पोस्टकार्ड द्वारा नीचे लिखे पते पर भेजने हैं।

पहले ५ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रूपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा प्रकाशन से दो महीने के भीतर भेजा जाएगा और विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित किये जाएंगे। आशा है, आपलोग अधिकाधिक संख्या में इसमें भाग लेंगे।

आपके सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. यदि शिकायतकर्ता को लिखना नहीं आता है तो वह अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकता/सकती है?

२. अगर कोई ज़मानतदार न हो तो क्या आरोपी को ज़मानत नहीं मिल सकती है? उसके पास क्या विकल्प है?

३. चोरी के लिए गिरफ़्तार आरोपी को ज़मानत कहां से मिल सकती है? थाने से या अदालत से?

४. क्या महिलाओं की शारीरिक तलाशी पुरूष पुलिसकर्मी ले सकते हैं?

५. क्या पुलिस १६ वर्ष के बच्चे को पूछताछ के लिए थाने में बुला सकती है?

हमें लिखें–

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, ***लोक पुलिस***
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–१७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई–मेल: info@humanrightinitiative.org
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

घटनास्थल का नक्शा

घटना स्थल की फोटोग्राफ़ी के बाद जांच अधिकारी को अपराध के स्थान का ठीक–ठीक नक्शा बनाना होता है और दूसरे सबूतों से उसकी दूरी और उसका आपसी संबंध निश्चित करना होता है। इस प्लान को अगर ठीक से हर महत्त्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करते हुए बनाया जाए तो यह अदालत, अभियोजन और बचाव पक्ष के लिए समूचे दृश्य का चित्रमय प्रतिनिधित्व कर सकता है। आमतौर पर जांच अधिकारी इस काम को करने में असमर्थ होते हैं और इसके लिए सर्कल इंस्पेक्टर/रेवेन्यू अफ़सर। इसके लिए साधारण नियम और दिशानिर्देश हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। अगर इन मापदण्डों को सावधानीपूर्वक ठीक से माना जाए तो, यह बहुत लाभदायक हो सकते हैं। ये नक्शे इसे बनाने वाले के बयान के साथ अदालत में स्वीकार्य है।

हांलाकि, व्यावहारिक रूप में जिस प्रकार घटना स्थल(साईट मैप) का नक्शा तैयार किया जाता है वह किसी भी दिशा निर्देश के विरूद्ध होता है। घटना स्थल का नक्शा तैयार करने में बहुत देर की जाती है। अस दौरान उस जगह की नाकाबंदी नहीं की जाती है। जब अपराध स्थल सार्वजनिक स्थल हो और आम जनता के लिए खुला हो तो, इसमें किसी भी समय बहुत हद तक बदलाव हो सकता है। ये नक्शे कभी भी मापदण्डों के आधार पर नहीं तैयार किये जाते हैं। इनसे केवल साधारण तरीके की जानकारी मिलती है कि उत्तर दिशा में क्या था और दक्षिण में क्या था। ऐसे नक्शों से अपराध स्थल पर क्या हुआ था इसकी वास्तविक जानकारी नहीं मिलती है। कई बार जब रेवेन्यू अफ़सर/सर्कल इंस्पेक्टर अपराध स्थल का नक्शा बना रहे होते है तब जांच अधिकारी उनके साथ उपस्थित भी नहीं होते। रेवेन्यू अफसर के बाद केवल पंचनामा की प्रति होती है जो पुलिस उसे नक्शा तैयार करने के पहले देती है वह उसी के आधार पर नक्शा तैयार करता है। यह मानते हुए कि अपराध स्थल का नक्शा तब तैयार किया जाना चाहिए जब उसे किसी ने छेड़ा न हो, इस चरण में नक्शा बनाने का कोई महत्त्व नहीं है। अधिकतर नक्शा तैयार करने में हुए विलम्ब पर सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो भी रेवेन्यू अफ़सर को इस विलम्ब के लिए दोषी नहीं माना जा सकता क्योंकि वह केवल पुलिस के निर्देशों पर काम करता है।

कई रेवेन्यू अफ़सर यह मानते हैं कि वे शायद ही कभी मापदण्डों के आधार पर नक्श तैयार करते हैं और यह कि वे इसके लिए प्रशिक्षित भी नहीं होते हैं। जांच के तरीकों के आधुनिकीकरण की बहुत अधिक आवश्यकता है लेकिन अगर इसकी शुरूआत होती है तब क्या प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा और अगर पुलिस इनका पालन नहीं करती तब क्या उन्हें दण्डित किया जाएगा।

मृत्यू के कारणों की जांच रिपोर्ट (इन्क्वेस्ट रिपोर्ट)

हत्या के केसों में जैसे ही फोटो ले लिए जाएं और स्केच मैप तैयार कर लिया जाए मृत्यू के कारणों की जांच रिपोर्ट (इन्क्वेस्ट रिपोर्ट) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। इन्क्वेस्ट रिपोर्ट का मकसद यह तय करना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यू अप्राकृतिक है या अप्राकृतिक अवस्था में हुई है और यदि ऐसा है तो इसका क्या कारण था। अगर किसी थाना प्रभारी को ऐसी किसी मृत्यू की सूचना मिलती है तब वह तुरंत कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देगा और उस स्थान पर पहुँचेगा जहां मृतक का शव है और दो या अधिक आदरणीय पड़ोसियों की उपस्थिति में फिर पँचो को बुलाएगा और जांच करेगा और मृत्यू के कारणों की रिपोर्ट तैयार करेगा इसमें शरीर पर पाए गए चोट और घाव के निशान का ब्यौरा और साथ ही किस हथियार से ऐसे घाव लगे हो सकते हैं इसका ब्यौरा भी देगा, इसमें मृत्यू के स्पष्ट दिखाई देने वाले कारणों का भी उल्लेख होना चाहिए। उस रिपोर्ट पर जांच अधिकारी और पँचो के हस्ताक्षर होने चाहिए और फिर उसे डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रैट (डी.एम.) या सब डिविज़नल मजिस्ट्रैट (एस.डी.एम.) के पास भेज दिया जाता है।

जांच की प्रक्रिया

मुत्यू के कारणों की जांच की क्या प्रक्रिया होगी इस पर पुलिस मैन्यूअल में विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जब तक पँच नहीं आते हैं और रिपोर्ट नहीं तैयार करते हैं कोई भी शव को हाथ नहीं लगाएगा। इसमें यह भी विस्तृत रूप में लिखा होता है कि शरीर पर पहने हुए कपड़ों, शरीर पर पाए गए घाव, चोट के निशान और शव के आस पास की वस्तुओं की सूची पर रोल कैसे अंकित करना है। शव की अवस्था कैसी थी और जिस हथियार से हत्या की गई है उसका ब्यौरा और हत्या के स्पष्ट कारण की विस्तृत जानकारी लिखी जानी चाहिए।

शव की पहचान

जहां शव की पहचान निश्चित नहीं हो, वहां जांच अधिकारी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वह शव की पहचान कराने की हर सम्भव कोशिश करे। ऐसा करने के लिए गांव मुहल्ले वालों को, करीबी रिश्तेदारों को शव के पास बुलाया जा सकता है। शव का फ़ोटो भी लिया जा सकता है लेकिन अगर शरीर सड़ चुका है या फिर पहचाने जाने के योग्य न हो तो यह अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध होगा। ऐसे केसों में शव के पास पाई जानी वाली चीज़ों को भविष्य में पहचान के लिए संभालकर रखना चाहिए।

पुलिस मैन्यूअल में न पहचाने जाने वाले शवों के संबंध में जांच अधिकारियों के लिए साफ़ निर्देश दिए गए हैं। तलाशी स्लिप के फॉर्म पर ऊंगली के छाप लेकर उसे स्टेट फिंगर प्रिंट ब्युरो को पहचान के लिए भेज दें।

इन्क्वेस्ट करने के समय विलम्ब व गलत व्यवहार

कभी कभी इन्क्वेस्ट रिपोर्ट को तुरंत बगैर कुछ निश्चित समय के विलम्ब के तैयार करना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में अपराध स्थल की सावधानी से सुरक्षा की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए और उस जगह पर किसी के आने पर पूरी तरह नाकाबंदी कर देना चाहिए।जब तक रिपोर्ट तैयार नहीं होती पुलिस को अपराध स्थल और शव दोनों की सुरक्षा इस प्रकार करनी चाहिए कि कोई उससे छेड़–छाड़ न कर सके। कई बार इन्क्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने में अनावश्यक विलम्ब होता है और तब तक अपराध स्थल और शव खुले रहते हैं। इससे एफ.आई.आर., इन्क्वेस्ट रिपोर्ट और फिर पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की सच्चाई पर सवाल उठाने का मौका मिलता है।

पुलिस द्वारा जिन पँचो को चुना जाता है शायद ही वे कभी चश्मदीद होते हैं या उस ईलाके के होते हैं। आम चलन तो यह है कि पुलिस के पास कुछ चुने हुए लोग होते हैं जो उनके लिए पँचो और इन्क्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये पँचो वही दोहराते हैं जो पुलिस कहती है और हमेशा ही पुलिस की ईच्छा के अनुसार कोर्ट में गवाही नहीं देते।

इन्क्वेस्ट के दौरान मृत्यु के कारणों के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए जिस भी चीज़ का उपयोग किया गया हो वह साफ़ और बचाव पक्ष और अभियोजन के लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन प्रचलन में यह है कि इन्क्वेस्ट रिपोर्ट में इन सबकी एक संक्षिप्त वर्णन होता है। कोर्ट द्वारा समय समय पर इस प्रचलन की बहुत अधिक आलोचना की गई है। हांलाकि, कई निर्देश और दिशा निर्देश जो पुलिस मैन्यूअल में हैं उनमें वैधानिक बल नहीं है जिससे कि साफ सुथरी जांच में गलत व्यवहारों और बनावट को रोका जा सके या सबूतों में सुधार हो सके।

जैसे ही मृत्यू के कारणों की जांच पूरी होती है रिपोर्ट को एक लिफाफे में रख कर पँचो की मौजूदगी में उस कांस्टेबल को सौंप दी जाती है जो शव को पोस्ट मार्टम के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास ले जाएगा।

नवाज़ कोतवाल

मृत्यू के कारणों की जांच रिपोर्ट (इन्क्वेस्ट रिपोर्ट)

यह साफ़ है कि मृत्यू के कारणों की जांच रिपोर्ट एक बेहद मार्मिक महत्त्व रखने वाला दस्तावेज़ है जिसे तुरंत बनाया जाना चाहिए क्योंकि इसे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर को शव देने के साथ सौंपना होता है।

.....शेष पृष्ठ १ का

जैसे–ट्रैफिक पर, अवसंरचना और आधुनिक तकनीकी उपकरणों की खरीदारी पर, इंटलिजेंस एकत्रित करने पर और संचार के साधनों, जैसे वायरलेस को हर साल नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। इसमें पुलिस की रिहाईश और बैरकों में सुधार पर खर्च किया जाता है।

थाना स्तर पुलिस द्वारा जनता और समुदाय के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं?

पिछले ३-४ सालों से लगभग सभी राज्य अपना फ़ोकस सामुदायिक पुलिसिंग पर केन्द्रित कर रहे हैं। कई राज्यों में सेवाओं के अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद चीज़ें बेहद बदल गई हैं। हर काम को समयबद्ध कर दिया गया है जैसे कि अगर किसी को एफ.आई.आर. की कॉपी चाहिए तब उसे दो दिनों में देना ही है। इस कानून के पहले सेवा प्रदान करने में विलम्ब के कारण जनता से संबंध में कड़वाहट आ जाती थी लेकिन इस कानून के आने से यह समस्या भी समाप्त हो चुकी है।

इसके अलावा हमने पंजाब में जिला और सब डिविजन स्तर पर एक सुविधा सेंटर खोला है जिसमें एक निश्चित समय के अंतर्गत हर प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। इसके अंतर्गत वैवाहिक समस्याओं का भी समाधान ढूँढ़ा जाता है। १५ दिनों के अंतराल में अधिकारी इस कमिटी से मिलते हैं। इसके अलावा, हमारे यहां टाऊन के मोहल्लों में 'स्पेशल पुलिस अफ़सर' नियुक्त किये जाने की पहल की गई है। इसके अंतर्गत हमने कुछ निजी गार्ड उपलब्ध कराने वाली कंपनियों से संपर्क किया है जिनमें से उनके कुछ लड़कों को हमने हर मोहल्लों में निश्चित घर दे दिये हैं जहां वे रात में पहरा देते हैं और बीट अफ़सर इनकी ड्यूटी पर निगरानी रखते हैं। इससे चोरी के केसों में कमी आई है।

इसके अलावा हमने 'नेबरहुड वॉच' जैसा प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसके अंतर्गत लोगों को अपने आस पास कुछ भी संदिग्ध होने पर हमें जानकारी देने के लिए कहा गया है।

शहरों के अलावा गांवों में हमने बेरोज़गार लड़के जो अकसर नशे आदि की लत में पड़ जाते हैं, उनके लिए एक क्लब बनाया है। इसमें हम इनका नामांकन करते हैं और इनके लिए कभी डी.एम. से कभी अपनी तरफ़ से फंड इकट्ठा करते हैं और इन्हें खेलों की तरफ़ भेजने की कोशिश करते हैं। साथ ही, इनसे गांव की आम जानकारियां भी मिलती हैं।

अंत में, *लोक पुलिस* पत्रिका के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इसके बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे?

ऐसी कई सारी पत्रिकाएं हैं जो वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर जानकारियां उपलब्ध कराने में समर्थ हैं, लेकिन ***लोक पुलिस*** के बारे में जितना भी सुना है यहां तक कि दूसरे राज्यों में अपने मित्रों से वह यह है कि इससे ज़मीनी स्तर पर पुलिसकर्मियों में जानकारी पहुंच रही है वे इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। यह पत्रिका पुलिस की सभ्यता को बदल सकती है। मेरी ओर से इसे शुभकामनाएं।

कनाडा पुलिस की जांच प्रणाली-कुछ तथ्य

विभिन्न विषयों के अंतर्गत प्रश्नोत्तर की श्रृंखला के पहले चरण में हम कनाडा के आपराधिक न्याय प्रणाली में किसी आपराधिक मामले की शिकायत दर्ज कराने से लेकर उसकी जांच की प्रक्रिया तक की जानकारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जानकारी हमने आपके लिए ई–मेल द्वारा श्री बलतेज सिंह ढ़िल्लन, सीनियर सार्जेंट, कनाडा पुलिस से प्राप्त की है। इसका मकसद है आपलोगों तक विदेशों में आपके स्तर पर काम करने वाले लोगों द्वारा किसी विषय का संचालन करने में उपयोग किये गए अच्छे तरीकों को जानना।

शिकायत दर्ज करने के तरीके और इसके तुरंत बाद की प्रक्रिया क्या हैं?

• जब किसी को शिकायत दर्ज करानी हो, यह फ़ोन पर, थाने में व्यक्तिगत रूप या फिर पुलिस अफ़सर स्वंय शिकायतकर्ता के घर जाकर इसे दर्ज करेगा।

• शिकायत की शुरूआत गवाहों या पीडितों के बयान लेने के बाद की जाती है। शिकायत को पीड़ित, गवाह या पुलिस अफ़सर के द्वारा लिखा जा सकता है।

• सीरियस केसों में बयान की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि बयान की सत्यता को निश्चित किया जा सके। उसके बाद, बयान को जांच अधिकारी द्वारा लिखा जाता है और उसकी आवाज़ का पुनः निरीक्षण किया जाता है और तब उसे फ़ाईल में लगाया जाता है।

• शिकायत के अनुसार, जांच अधिकारी तब अनेकों प्रकार की जांच तकनीक जिनमें– फ़ोरेंसिक, सम्भावित गवाहों से साक्षात्कार, पड़ोसी जांच, पुष्ठभुमि संबंधी अनुसंधान, न्यायिक तौर पर स्वीकृत निजी संचार पर रोक, तलाशी वारंट, दस्तावेज़ों को उपलब्ध कराने का आदेश आदि।

• जांच के सभी पहलुओं को जांच फ़ाईल में दर्ज किया जाता है, जिसमें पत्राचार, ई–मेल, सुपरवाईज़र से निर्देश और जांच पूरा करने में की गई हर कोशिश भी शामिल है।

किन परिस्थितियों में न्यायालयों द्वारा निजी संचार पर रोक अधिकृत किया जाता है?

अदालत द्वारा निजी संचार पर रोक की आज्ञा केवल तभी दी जाती है जब पुलिस यह दिखलाने में कामयाब हो जाती है कि जांच के दूसरे तकनीकों से सबूत इकट्ठा कर पाना सम्भव नहीं है। पुलिस को यह भी दर्शाना होता है कि जिस व्यक्ति पर जांच के दौरान निशाना लगाया जा रहा है वास्तव में वह व्यक्ति उस अपराध के लिए ज़िम्मेदार है। कई बार ऐसा भी होता है कि इन तकनीकों से यह पता लगता है कि अनुमानित व्यक्ति निर्दोष है और उसे अपराध मुक्त कर दिया जाता है। सभी जांच तकनीकों में एक बात समान है कि वे केवल सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश हैं।

क्या अदालत में निजी संवाद की रिकॉर्डिंग की आज्ञा सभी संज्ञय और असंज्ञय केसों में दी जाती है और यह सबूत के तौर पर अदालत में स्वीकार्य होती है?

निजी संवादों की रिकॉर्डिंग की आज्ञा किसी अधिकृत व्यक्ति को जैसे कि पुलिस को निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जाती है:–

• जिस व्यक्ति का साक्षात्कार किया जा रहा है उसकी मर्जी से(केवल गवाह या पीड़ित),

• गिरफ़्तारी से जुड़े, किसी संदिग्ध की भी ऑडियो और वीडियो रकॉर्डिंग की जा सकती है और गिरफ़्तारी के समय उसे बता दिया जाता है कि पुलिस अफ़सर से या थाने में उससे की गई बातचीत की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है।

• न्यायिक आज्ञा के साथ, निजी संवादों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसमें उस व्यक्ति को इस बात से सुचित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। न्यायिक अधिकृति के अंत में उक्त व्यक्ति को एक पत्र भेजकर यह जानकारी दी जाती है कि न्यायिक अधिकृति और उसके वार्तालापों को रोका और सूना गया है।

इन विशिष्ट तकनीकों के अलावा सिद्धांत के तौर पर उपयोग किये जाने वाले साधारण जांच तकनीकों के बारे में बतलाएं?

प्राथमिक जांच तकनीक 'साक्षात्कार' है, चाहे वह संदिग्धों या फिर गवाहों के साथ हो। अंत में मकसद होता है सच्चाई का पता लगाना और जांच को आगे बढ़ाना।

• सभी कनाडा वासियों को चुप रहने का अधिकार है जोकि संविधान में उल्लेखित है।

• सभी इंटरव्यू स्वेच्छित होते हैं और किसी को कोई बयान देने के लिए डराना या धमकाना गैरकानूनी है।

• ऐसा कोई भी बयान जो धमकी, दबाव या वादों के आधार पर लिया जाए वह अदालत में अस्वीकार्य माना जाएगा।

• हर व्यक्ति को कैद और गिरफ़्तारी के बाद अपने वकील से संपर्क करने का अधिकार है। और, पुलिस को उक्त व्यक्ति को जितनी जल्दी सम्भव हो वकील से संपर्क करने का मौका देना चाहिए।

आशा है, उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी का उपयोग आप भी करेंगे और अगर आप इन तकनीकों का उपयोग पहले से ही कर रहे हैं तो हमे भी इसके बारे में बताएं।

प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

नमस्कार जी,

हमारे थाने में ***लोक पुलिस***, पत्रिका दूसरी बार अब जनवरी में आई है। पिछले साल इसका एक अंक देखने को मिला था । हमलोगों ने किरन बेदी जी का इंटरव्यू पढ़ा, वह हमें पसंद आया था।

अब आशा है हमें यह पत्रिका नियमित रूप से देखने को मिलेगी। एक और निवेदन यह है कि हमारे राज्य के चुनाव के बाद स्थानीय एस.पी या बड़े अधिकारियों का साक्षात्कार भी प्रकाशित करें। उससे हमें यह पता लगेगा कि हमारे बारे में इन लोगों के भविष्य में क्या विचार हैं अन्यथा हमारी आमने सामने तो कभी बात होती नहीं है।

सदस्य, लखीमपुर खेरी
उत्तर प्रदेश पुलिस

संपादक जी,

लोक पुलिस के कई अंक पढ़ने से अच्छी जानकारियां तो मिलती ही हैं, लेकिन इसमें आसान भाषा के उपयोग से कानून की जटिल बातों को ठीक से समझ पाना संभव हो पाता है। हमलोगों का नए कानूनों पर प्रशिक्षण होते रहने चाहिए। खासकर हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और हमारे दायित्वों के बारे में भी सरल भाषा में बताया जाना चाहिए।

ऐसा नही है कि हमलोग नए कानूनों को समझना नहीं चाहते मगर पढ़ने का समय कहां मिलता है। इसलिए हमें दूसरे माध्यम जैसे प्रशिक्षण या सरल लेखों के द्वारा इनके अंतर्गत आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए।

सब–इंस्पेक्टर, सतना
सदस्य, मध्य प्रदेश पुलिस

क्या आप जानते हैं?

इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने पिछले महीने से पुलिस सुधार पर बनाए गए सभी आयोगों और समितियों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर दी गई सिफ़ारिशों को प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान अंक में हम "भर्ती" के मुद्दे पर दी गई सिफ़ारिशों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की पांचवी रिपोर्ट (१९८०)

- अफ़सरों की भर्ती केवल कांस्टेबल या भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में होनी चाहिए।
- पुलिस अनुक्रम(हाइरार्की) के दूसरे स्तर पर भर्ती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देना चाहिए।
- अच्छी तरह विकसित किए गये मनोवैज्ञानिक टेस्ट को चयन प्रक्रिया का भाग बनाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इस मनोवैज्ञानिक टेस्ट को तैयार करे।

रिबेरो कमिटी–दूसरी रिपोर्ट (मार्च १९९९)

- भर्ती, प्रशिक्षण और कांस्टेबुलरी के कल्याण से संबंधित, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करना चाहिए।
- कांस्टेबलों की भर्ती के लिए निम्नतम शैक्षणिक क्षमता उच्च माध्यमिक होनी चाहिए।
- प्रत्येक राज्य को एक स्वतंत्र पुलिस भर्ती बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। बोर्ड को सभी गैर राजपत्रित (नॉन गजेस्टेड) अधिकारियों की भती करना चाहिए।

पदमनाभईया कमिटी (२०००)

- भर्ती में कांस्टेबल के बदले सब–इंस्पेक्टरों को रखने पर ध्यान देना चाहिए। जुनियर पर सीनियर अधिकारियों का अनुपात बढ़ाने के लिए कांस्टेबुलरी की भर्ती को रोकना चाहिए जब तक कि १:४ का अनुपात न प्राप्त हो जाए। वर्तमान में यह अनुपात विभिन्न राज्यों में १:७ से १:१५ तक है।
- कांस्टेबलों की भर्ती छोटी उम्र में होनी चाहिए। ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने १० वीं कक्षा पास कर ली है और जो १६ साल से कम उम्र के हैं उन्हें प्रवेश परीक्षा देने के योग्य माना जाना चाहिए। कामयाब प्रत्याशियों को दो साल के प्रशिक्षण प्रोग्राम में रखना चाहिए और उन्हें नियुक्ति के लिए एक अंतिम परीक्षा पास करनी चाहिए।
- सब इंस्पेक्टर के प्रत्याशियों को १२वीं कक्षा पास होना चाहिए। प्रत्याशियों को २१ वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए और उनकी नियुक्ति प्रवेश परीक्षा में परिणाम के अनुसार होनी चाहिए। कामयाब प्रत्याशियों को तीन साल के प्रशिक्षण प्रोग्राम में रखा जाना चाहिए। इसके बाद नियुक्ति एक अंतिम परीक्षा पास करने के बाद होनी चाहिए। इस स्तर पर 50 प्रतिशत भर्तीयाँ सीधे तौर पर की जानी चाहिए जबकि ५० प्रतिशत प्रोमोशन द्वारा होनी चाहिए।

पुलिस अधिनियम ड्राफ़्टिंग कमिटी या सोली सोराबजी कमीटी (२००५-२००६)

- पुलिस संगठन में भर्ती निम्नलिखित तीन स्तरों पर जारी रहनी चाहिए:
  - ❑ संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भारतीय पुलिस सेवा में,
  - ❑ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा डी.एस.पी. के स्तर पर,
  - ❑ राज्य स्तरीय पुलिस संस्थापना बोर्ड के द्वारा सीधे गैर राजपत्रित (नॉन गजेस्टेड) स्तर पर। मॉडल कानून के अंतर्गत बनाए गए बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है और इसमें विधिबद्ध वैज्ञानिक व्यवस्था और प्रक्रिया का उपयोग किया गया है।

उपरोक्त विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर आपने देखा कि भर्ती प्रक्रिया पर अलग अलग समीतियों ने आवश्यक सिफ़ारिशें की हैं। अब आपके राज्य में इन सिफ़ारिशों का कितना पालन होता है इसका आकलन आप स्वंय कर सकते हैं। अपने राज्य में भर्ती के संदर्भ में होने वाली कमियों आदि की जानकारी आप हमारा साथ बांट सकते हैं। हम अपनी संस्था के माध्यम से उस राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों पर, यदि यह कोई अवैधानिक प्रचलन है तो उसे रोकने के लिए दबाव बना सकते हैं। आप यह जानकारी गुमनाम रूप से भी हमें भेज सकते हैं।

–ज़ीनत मलिक

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

कोयंबटूर पुलिस द्वारा विदेशी नागरिकों का डाटाबेस

वित्तीय धोखाधड़ी और नारकोटिक्स के बढ़ते केसों को देखते हुए जहां विदेशी नागरिकों का हांथ होना पाया गया है अब इरोड और तिरूपुर ज़िले की पुलिस ने अब विदेशी नागरिकों का डाटा बेस रखना शुरू कर दिया है। इनमें विधार्थियों की जानकारी भी शामिल है। एस.पी. श्री पनीरसेल्वम के अनुसार 900 से अधिक विदेशियों का डाटा इकट्ठा किया जा चुका है जिसमें ८०० विधार्थी भी शामिल हैं।

जहां एक तरफ़ विदेशी नागरिकों की हरकतों पर निगरानी रखने के लिए एक अच्छी कोशिश है वहीं सोचने की बात यह है कि ऐसा डाटाबेस तैयार करने की आवश्यकता अब क्यों पड़ी जबकि यह तो एक रूटीन प्रक्रिया होनी चाहिए थी।
(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम १६ जनवरी २०१२)

फोर्बसगंज पुलिस फायरिंग

फोर्बसगंज पुलिस फायरिंग के संबंध में गठित न्यायिक आयोग की अवधि को बढ़ाने के लिए सरकारी अधिवेषण की, विरोधी पार्टियों द्वारा आलोचना की गई। क्योंकि, इस एक सदस्यीय जांच आयोग जिसका गठन पिछले साल २२ जून को ६ महीने के लिए सेवानिवृत जस्टिस माधावेंद्रा सरन की अध्यक्षता में किया गया था और इसलिए उनके अनुसार यह २३ दिसंबर से १५ जनवरी के मध्य समाप्त हो चुका था।

इस आयोग का गठन ३ जून २०११ को फोर्ब्सगंज के करीब भजनपुर में एक स्टार्च फैक्ट्री के अहाते में, दीवार खड़ी किए जाने के विरूद्ध प्रदर्शन कर रहे कथित उद्दंड भीड़ पर पुलिस द्वारा फायरिंग किये जाने की परिस्थितियों की जांच के लिए किया गया था। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें एक गोद में रहने वाला बच्चा और एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। सभी मृतक मुस्लिम समुदाय के थे।

कभी कश्मीर है तो कभी भजनपुर केवल पुलिस के बेलगाम हथियारों का शिकार होने वाले लोगों के नाम बदल जाते हैं और हत्या की स्थान अलग होते हैं। लेकिन, कानून की किताब में भीड़ नियंत्रण संबंधित नियम को ताक़ पर रखकर पुलिस केवल मनमानी करती आ रही है। किसी केस में मीडिया की हमदर्दी मिल जाए तो लोगों को यह पर हत्या थोड़े दिन याद रहती है और केवल तभी तक पुलिस और प्रशासन इसके विरूद्ध कार्यवाही करने का नाटक करते हैं और फिर अगर गंभीरता दिखाई गई तो एक आयोग का गठन कर दिया गया। फोर्ब्सगंज भीड़ हत्या मामले में भी ऐसा ही हुआ है। आज मीडिया या राजनेताओं में से क्या किसी को इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को कानून की गिरफ़्त में लाने की फुर्सत है? आपलोग, जो इस पत्रिका के पाठक हैं क्या ऐसा महसूस नहीं करते कि पुलिस के गैर कानूनी बर्ताव के कारण अगर किसी की जान जाती है तो उनके ख़िलाफ़ भी न्यायिक कार्यवाही की जाए?
(सौजन्यः टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम १६ जनवरी २०१२)

घरेलू हिंसा कानून - कितना सफ़ल?

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम २००५ के कार्यान्वयन को मापने के लिए स्वयंसेवी संस्था लायर्स कलेक्टिव और आई.सी.आर. डब्ल्यू. ने दिल्ली में एक सर्वे किया जिसके अनुसार इसके लागू होने के ६ वर्ष बाद भी इससे जुड़े प्रमुख अधिकरियों के विचारों मे जेंडर समानता की बात ही नहीं दिखाई पड़ती है और यह वे अधिकारी हैं जिनके बगैर यह कानून अपने मकसद को पूरा नहीं कर सकता। इसके अंतर्गत सुरक्षा अधिकारियों के रूप में ऐसे व्यक्ति की परिकल्पना की गई थी जो पीड़ित महिलाओं को दिशा दे और उनकी घरेलू घटना कि रिपोर्ट (डी.आई.आर.) लिखे लेकिन, ये लोग आज भी मानते हैं कि घरेलू हिंसा महिलाओं का निजी मामला है और घरेलू हिंसा सबसे अच्छी तरह से परामर्श से ही सुलझाया जा सकता है और जिन महिलाओं के पति व्यभाचार के कारण उन्हें मारते पीटते हैं तो कानून को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए।

दिल्ली, जहां यह माना जाता है कि यह कानून दूसरी जगहों से बेहतर काम कर रहा है वहां जब सुरक्षा अधिकारियों ने यह माना कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं पीटे जाने के योग्य होती हैं तो दूसरे स्थानों पर इन अधिकरियों का क्या हाल होगा यह सोचने की बात है। इस सर्वे से यह पता चला कि पुलिस लोगों को शिकायत दर्ज कराने से मना करती है और उन्हें 'समझौता' करने के लिए मजबूर करती है। इस सर्वे से जो बात सबसे परेशान करने वाली मालूम हुई वह सुरक्षा अधिकरियों के रूझान के बारे में है कि वे किस बात को घरेलू हिंसा कहते हैं। दिल्ली के १४ सुरक्षा अधिकरियों ने यह माना है कि अधिकतर गरीब पुरूष ही अपनी पत्नी को मारते हैं। करीब ३५.७ प्रतिशत औसतन अधिक सुरक्षा अधिकारियों ने यह कहा कि महिलाओं को केस दर्ज कराने के पहले बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि इसका उन पर क्या असर होगा।

५ साल बाद दिल्ली में सर्वे के बाद विचित्र परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में इस कानून से मदद मांगने के लिए महिलाएं पुलिस के पास ही जाने को प्राथमिकता देंगीं इसलिए जहां एक तरफ़ सुरक्षा अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है वहीं पुलिस को अपने दायित्वों के निर्वाह पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है।
(सौजन्यः ट्रिब्यून इंडिया डॉट कॉम ३० जनवरी २०१२)

शिकायत न दर्ज करना- चिंता का विषय

असंज्ञय अपराधों के मामलों में भी पुलिस द्वारा केस न रजिस्टर करने के विरूद्ध मुंबई हाई कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र डी.जी.पी. से उचित कदम को उठाने को कहा है। डिविज़ बेंच के जस्टिस श्री वी.एम.कनाडे और जस्टिस पी.डी.कोडे ने अवलोकन करते हुए कहा कि "हम ने देखा है कि कई केसों में हांलाकि एक संज्ञय अपराध घटित होता है, शिकायत नहीं दर्ज की जाती जिस कारण से कई केसों में बहुत अन्याय होता है।"

यह अवलोकन मुंबई के एक ट्रक मालिक इकबाल रमज़ान खान द्वारा दायर की गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए किया गया। इस केस में ट्रक मालिक ने अपनी गाड़ी एक ड्राईवर को दे रखी थी जिसने इसे नासिक में देवला के एक ढ़ाबे के सामने इसे खड़ी करके भाग गया और इसमें से दो लाख रूपये का तेल भी चोरी कर लिया गया था। इस बात की शिकायत न तो देवला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और न ही नासिक एस.पी. के पास शिकायत करने पर इसकी रिपोर्ट दी गई। हताश होकर उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में इसके विरूद्ध याचिक दायर की गई थी।

अब अदालत ने देवला के सीनियर इंस्पेक्टर और नासिक के एस.पी. को हलफ़नामा दायर करके अपना पक्ष रखने को कहा गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५४ से लेकर कई बार उच्च न्यायालयों और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय के लगातार टिप्पणी करने के बावजूद भी पुलिस अपनी सुस्ती के कारण पहले से ही परेशान पीड़ितों को शिकायत न दर्ज करके और अधिक परेशानी में डाल देती है। जबकि द0 प्र0 सं0 के प्रावधानों का ठीक से पालन करके पुलिस जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट अदालत में दे सकती है।
(सौजन्यः इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम ३१ जनवरी २०१२)

साईबर स्टॉकिंग के बढ़ते मामले-मज़बुत कानून आवश्यक!

कोलकाता में हर महीने २२-३० प्रतिशत महिलाएं इसका शिकार होती हैं। जिनमें कामकाजी महिलाएं सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं। पिछले ६ महीनों में लाल बाज़ार साईबर क्राईम सेल के पास इस प्रकार की ३० शिकायत दर्ज की गई है। मनोरोग चिकित्सकों के अनुसार इस प्रकार किसी का पीछा करना कुछ लोगों को उदासीनता भरा आनंद प्रदान करता है।

ऐसा नहीं है कि किसी का पीछा करना कोई नई प्रवृत्ति है जो समाज में अचानक उत्पन्न हो गई है बल्कि ऐसी हरकतों को अंजाम देने वाले लोग हर समय में होते रहें हैं। आज इंटरनेट और आधुनिक प्रकार के फोन के आ जाने के कारण साईबर स्टॉकिंग जैसा विशिष्ट अपराध बड़ी संख्या में पनपने लगा है। इस प्रकार किसी की गतिविधियों पर नज़र रखने वाले लोगों को साईबर स्टॉकर कहते हैं।

शायद इस प्रकार की बढ़ती स्टॉकिंग की घटनाओं के कारण ही अब इस पर कानून बनाने की बात होने लगी है और कई जगहों पर पुलिस ने भी स्टॉकिंग विरोधी सेल बना रखे हैं, जो कि समय की मांग और समाज की आवश्यकता है।
(सौजन्यः हिन्दुस्तान टाईम्स डॉट कॉम ३१ जनवरी २०१२)

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी-११७, प्रथम तल, सर्वोदय एन्कलेव, नई दिल्ली-११००१७, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org